पुनर्गठन
अति–आवश्यक

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज विभाग)

एफ.15(1)पुनर्गठन / विधि / पंरावि / 2019 / 747 जयपुर, दिनांक:11.7.2019

ज़िला कलेक्टर ,
समस्त (राजस्थान)।

विषयः– पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा–101 के अर्न्तगत पंचायती राज संस्थाओं की सीमाओं में परिवर्तन बाबत।
प्रसंगः– विभागीय समसंख्यक पत्रांक 544 दिनांक 19.6.2019 ।

प्रासंगिक पत्र द्वारा निर्धारित किये गए मानदण्डों एवं पुनर्गठित / पुनर्सीमांकित / नवसृजित ग्राम पंचायतों के वार्डों की संख्या का निर्धारण किये जाने हेतु जारी विभागीय अधिसूचना क0 648 दिनांक 03.7.2019 को लेकर कुछ ज़िलों द्वारा मार्गदर्शन चाहा जा रहा है। अतः इस सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है कि प्रासंगिक पत्र दिनांक 19.6.2019 के द्वारा ग्राम पंचायतों एवं पंचायत समितियों के पुनर्गठन हेतु निर्धारित किये गए **मानदण्डों में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया गया है**। इस कार्य हेतु मानदण्ड निम्नानुसार हैं:–

	राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों, सहरिया क्षेत्र (किशनगंज एवं शाहबाद) एवं चार मरूस्थलीय ज़िलों बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर एवं जोधपुर के लिए	राज्य के शेष ज़िलों हेतु
ग्राम पंचायतों हेतु	न्यूनतम जनसंख्या 2,500 एवं अधिकतम 5,000	न्यूनतम जनसंख्या 4,000 एवं अधिकतम 6,500
पंचायत समितियों हेतु	40 एवं उससे अधिक ग्राम पंचायतों की संख्या तथा 1.50 लाख या उससे अधिक आबादी वाली किन्तु पुनर्गठित / नवसृजित पंचायत समिति में न्यूनतम 20 ग्राम पंचायतें रखी जावे ।	40 एवं उससे अधिक ग्राम पंचायतों की संख्या तथा 2.00 लाख या उससे अधिक आबादी वाली, किन्तु पुनर्गठित / नवसृजित पंचायत समिति में न्यूनतम 25 ग्राम पंचायतें रखी जावे ।

.....2

इसी प्रकार विभागीय अधिसूचना क0 648 एवं क0 649 दिनांक 03.7.2019 के द्वारा मात्र पुनर्गठित/पुनर्सीमांकित/नवसृजित ग्राम पंचायतों एवं पंचायत समितियों के वार्डों की संख्या का निर्धारण किये जाने हेतु मानदण्ड निर्धारित किये गए हैं, जो निम्नानुसार हैं:–

	पुनर्गठित/पुनर्सीमांकित/नवसृजित ग्राम पंचायतों एवं पंचायत समितियों के लिए वार्डों का निर्धारण (समस्त ज़िलों के लिए)
ग्राम पंचायतों हेतु	**3,000** तक की जनसंख्या के लिए कम से कम **5 वार्ड** और **3,000** से अधिक की जनसंख्या होने पर, **3,000** से अधिक के प्रत्येक **1,000** या उसके भाग के लिए, **5** की उक्त संख्या में **2** की बढ़ोतरी कर दी जायेगी।
पंचायत समितियों हेतु	**एक लाख** तक की जनसंख्या के लिए कम से कम **15 वार्ड** और **एक लाख** से अधिक की जनसंख्या होने पर, **एक लाख** से अधिक के प्रत्येक **15,000** या उसके भाग के लिए, **15** की उक्त संख्या में **2** की बढ़ोतरी कर दी जायेगी।

अतः पुनर्गठन के प्रस्ताव उपरोक्तानुसार मानदण्डों की पालना करते हुए ही तैयार किया जाना सुनिश्चित करावें।

(आशुतोष ए. टी. पेडणेकर)
शासन सचिव एवं आयुक्त

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, उप मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रा0वि0 एवं पं0 राज, राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज, राजस्थान, जयपुर।
7. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।
8. समस्त सम्भागीय आयुक्त, राजस्थान।
9. निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
10. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, राजस्थान।
11. एसीपी कम उप निदेशक, मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
12. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव (विधि)